

प्रिय शेयरधारक,

संदर्भ: अप्रदत्त लाभांश

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 (दि. 16-10-2006 से लागू) की शर्तों के अनुसार उन लाभांश जो अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित करने की तारीख से 7 वर्ष की अवधि तक बैंक के पास अदत्त रह जाते हैं उनको कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना है।

उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करते हुए ऐसी सभी धनराशियों जो सात वर्ष की अवधि के लिए अप्रदत्त या अदावी रहती है उन्हें दि. 16-10-2013 से निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा।

बैंक वर्ष 2000 से हर वर्ष लाभांश की घोषणा करता रहा है। जिन शेयरधारकों ने वर्ष 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, के लिए लाभांश वारंट, वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के लिए अंतरिम/अंतिम लाभांश वारंटों को भुनाया हो उनसे अनुरोध है कि वे अपने अप्रदत्त लाभांशों का दावा करने के लिए बैंक के निवेशक संपर्क केन्द्र, नैगम कार्यालय, बेंगलूर से संपर्क करें।

भवदीय,



कंपनी सचिव

दिनांक: 27-05-2010

Dear Shareholder,

**Re: Unpaid Dividends**

In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 (which has come into force from 16-10-2006), the dividends remaining unpaid with the Bank for a period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend account, are liable to be transferred to Investor Education and Protection Fund established under sub-section (1) of Section 205C of the Companies Act, 1956.

In compliance of the above guidelines, all such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund, commencing from 16-10-2013.

The Bank has a track record of declaring dividends every year since the year 2000. **Such of those shareholders, who have not encashed their Dividend Warrants for the year(s) 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, Interim/Final Dividend Warrants 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 and 2008-2009 are requested to approach Investor Relations Centre of the Bank at Corporate Office, Bengaluru for assistance in claiming their unpaid dividends.**

Yours faithfully,



Company Secretary

Date: 27-05-2010